(ग) स्वदेशी कार्यकलापों/सामूहिक प्रदर्शन के लिए उपस्कर : लेजियम (50 जोड़ी); डम्बल्स (50 जोड़ी); भारतीय क्लब (50 जोड़ी), फ्लैग; हूप्स; वैण्ड्स; बाल्स; अम्ब्रेला; स्किपिंग रोप्स; संगीत सिस्टम; संगीत – सीडी/कैसेट; सामग्री जैसेकि स्कार्फ ड्रिल, रिबन, प्लेकार्ड आदि, सामूहिक प्रदर्शन कार्यकलापों के लिए।

(ङ) जिमनास्टिक्स एपेरेट्स : पैरेलल बार (एक सेट) असमान पैरेलल बार (एक सेट), हॉरिजोंटल बार (एक सेट); दो रोमन रिंग (एक सेट), क्लाइम्बिंग रोप (मनीला) (छः), मैट (बारह रबड़, बारह कॉयर), बैलैंस बीम (समायोजन योग्य सेट), मल्टी–जिम (बारह स्टेशन) (एक सेट), वाल्टिंग टेबल (एक सेट), बीट बोर्ड (दो), क्रैश मैट (एक)।

**6.3 सांस्कृतिक कार्यकलाप**

आवश्यक होने पर विभिन्न कार्यकलापों के लिए उपयुक्त और पर्याप्त वाद्य उपलब्ध कराए जाने चाहिए।। लघु खेलों, मनोरंजन खेलों, रिलेज और लड़ाकू खेल के लिए अपेक्षित अन्य उपस्कर जरूरत होने पर और विशेषज्ञता आधार पर खरीदे जाने चाहिए।

**6.4 अन्य सुविधाएं**

(i) शिक्षण व अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर।

(ii) संस्थान, पुरुष और महिला स्टाफ और छात्रों के लिए पृथक सामान्य कक्षों की व्यवस्था करेगा।

(iii) पर्याप्त संख्या में शौचालयों की पुरुषों और महिलाओं के लिए, स्टाफ और छात्रों के लिए अलग–अलग व्यवस्था की जाएगी।

(iv) वाहनों की पार्किंग के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) संस्थान में सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(vi) कैम्पस की नियमित सफाई, पानी और शौचालय सुविधाओं, फर्नीचर व अन्य उपस्करों की मरम्मत और उन्हें बदलने की प्रभावी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(**टिप्पणी:** संयुक्त संस्थान के मामले में, अवसंरचना व अन्य सुविधाओं की विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए भागीदारी की जानी चाहिएं।)

**7. प्रबंधन समिति**

संस्थान में एक प्रबंध समिति होगी, जिसका गठन सम्बद्धन विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई हों, किया जाएगा। ऐसे नियमों के अभाव में संस्थान अपने आप प्रबंध समिति का गठन करेगा। समिति में प्रायोजक सोसायटी/ट्रस्ट के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञ, सम्बद्धन विश्वविद्यालय और स्टाफ के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

**परिशिष्ट–8**

## शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एम.पी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाले वाले शारीरिक शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदण्ड और मानक

**1. प्रस्तावना**

1.1 शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एम.पी.एड.)कार्यक्रम एक व्यावसायिक कार्यक्रम है जो उच्च माध्यमिक (कक्षा XI और XII) स्तर के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक तैयार करने और साथ ही कालेजों/विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर/निदेशक/खेल अधिकारी और शारीरिक शिक्षा कालेजों में शारीरिक शिक्षा के विश्वविद्यालय विभागों में शिक्षक प्रशिक्षण तैयार करने के लिए भी है ।

**2. अवधि तथा कार्य दिवस**

**2.1 अवधि**

एम.पी.एड. कार्यकम दो शैक्षणिक वर्षों अथवा चार सेमेस्टरों की अवधि के लिए होगा तथापि, छात्रों को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के अन्दर पाठ्यक्रम को पूरा करने की अनुमति होगी ।

**2.2 कार्य दिवस**

(क) प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में कम से कम 200 कार्य दिवस/प्रत्येक सेमेस्टर में, परीक्षा और प्रवेश आदि की अवधि को छोडकर, एक सौ कार्य दिवस होंगे ।

**(ख) संस्थान एक सप्ताह में (पांच अथवा छः दिन का एक सप्ताह) कम से कम 36 घन्टे के लिए कार्य करेगा जिसके दौरान संस्थान में सभी शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक है ताकि सलाह, मार्गदर्शन और परामर्श आदि के लिए, जब भी जरूरत हो, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।**

**3. दाखिला, पात्रता और प्रवेश प्रकिया**

**3.1 दाखिला**

प्रत्येक वर्ष के लिए 40(चालिस) छात्रों की एक बुनियादी इकाई होगी।

**3.2 पात्रता**

(क) कम से कम 50: अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा समकक्ष अथवा कम से कम 50: अंकों के साथ स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी.)।

(ख) अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछडे. वर्गों व अन्य श्रेणियों के लिए अर्हक अंकों में सीटों में आरक्षण और शिथिलता केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार, जो भी लागू हो, प्रदान की जाएगी।

**3.3 प्रवेश प्रकिया**

प्रवेश, प्रवेश प्रक्रिया में (लिखित परीक्षा, स्वस्थता परीक्षण, साक्षात्कार और अर्हक परीक्षा में प्रतिशतता) प्राप्त अंकों अथवा राज्य सरकार। संबंधित विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रकिया के आधार पर गुणावगुणों के आधार पर किया जाएगा।

**3.4 फीस**

संस्थान केवल वही शुल्क लेगा जो एनसीटीई (गैर–सहायता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों के विनियमों के लिए दिशानिर्देश) विनियम 2002 (समय–समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुरूप सम्बद्ध राज्य/संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हो। संस्थान विद्यार्थियों से चंदा, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

**4.0 पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन और मूल्यांकन**

**4.1 पाठ्यचर्या**

एम.पी.एड. कार्यक्रम, बाल्यावस्था, शिक्षा के सामाजिक संदर्भ, विषय जानकारी, शिक्षाशास्त्रीय ज्ञान, शारीरिक शिक्षा और संचार दक्षता के ध्येयों के अध्ययन को एकीकृत करने के लिए तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत अनिवार्य तथा वैकल्पिक सिद्धान्त पाठ्यक्रम और स्कूलों/कालेजों/खेल संगठनों/खेल अकादमी/खेल क्लब में अनिवार्य स्थानबद्ध प्रशिक्षण सम्मिलित होगी। सिद्धान्त तथा व्यावहारिक पाठ्यकमों को अनुपात के आधार पर भारिता प्रदान की जाएगी, जैसा कि संबंधन निकास द्वारा तय किया जाए। यह स्थूल रूप से एन.सी.टी.ई. द्वारा सुझाए गए (समय–समय पर संशोधित) पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के अनुरूप होगा, उसे संबंधित राज्य अथवा क्षेत्र के लिए संदर्भित करते हुए।

आई.सी.टी., लिंग, योगा शिक्षा और अक्षमता/समावेशी शिक्षा, एम.पी.एड. पाठ्यचर्या का एक अभिन्न भाग होगी।

**(क) सिद्धान्त पाठ्यकम**

सिद्धान्त पाठ्यकमों के अन्तर्गत, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान को समझने और शरीरिक शिक्षा व खेल विज्ञानों में उच्च अध्ययनों के अनुप्रयुक्त क्षेत्रों में पाठ्यकम सम्मिलित होंगे । प्रथम वर्ष में सिद्धान्त पाठ्यकमों में सम्मिलित होंगेः शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञानों में अनुसंधान प्रकिया, शारीरिक शिक्षा और खेलों में अनुप्रयुक्त सांख्यिकी, शरीरिक शिक्षा में परीक्षण, माप और मूल्यांकन, योगा विज्ञान, खेल प्रशिक्षण के वैज्ञानिक सिद्धान्त, खेल प्रौघोगिकी, कसरत का शरीरिक विज्ञान, खेल मनोविज्ञान, खेल बायोमेकेनिक्स और किनोसिओलाजी, खेल औषधि। द्वितीय वर्ष में पाठ्यकम में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे – खेल प्रबंधन, शारीरिक शिक्षा में पाठ्यचर्या डिजाइन, एथलेटिक देखभाल और पुनर्वास, खेल पत्रकारिता और जन संचार प्रौघोगिकी, खेल इंजीनियरी, शरीरिक स्वस्थता और कल्याण, मूल्य और पर्यावरणीय शिक्षा, शारीरिक शिक्षा में शिक्षा प्रौघोगिकी, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल पोषाहार, और एक शोध निबंध।

**(ख) प्रायोगिक कार्य**

प्रायोगिक कार्य पाठ्यकम, जो क्षेत्र आधारित है, छात्रों के लिए उपयुक्त विभिन्न खेलों, खेल–कूद, शारीरिक कार्यकलापों और योगा कार्यकलापों में व्यावसायिक दक्षताएं और क्षमताएं प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा । शिक्षण, प्रशिक्षण और स्थानापन्न संबंधी कार्यकलापों के अन्तर्गत सम्मिलित है : ट्रेक और फील्ड, तैराकी, जिमनास्टिक्स, योगा, एयरोबिक्स (आत्म रक्षा तकनीकों सहित), रेकेट खेल, जैसे कि बेडमिन्टन, टेबल टेनिस, स्क्वेश, टीम खेल, जैसे कि बेस बाल, बास्केटबाल, किकेट, फुटबाल, हेण्डबाल, हॉकी, नेटबाल, साफ्टबाल, शूटिंग, बालीबाल, लडाकू (काम्बोटिव) खेल जैसे कि बाक्सिंग, फेन्सिंग, जूडो, कराटे, मलखम्ब, लडाकू कलाएं, ताइकवाण्डो, कुश्ती, मनोरंजन खेल, जैसे कि रीले खेल, लघु खेल,

लीड–अप खेल, स्वदेशी खेल, जैसे कि कबड्डी, **खो–खो** आदि। राष्ट्रीय महत्व के कार्यकलाप, जैसेकि ध्वजारोहण, सलामी (मार्च पास्ट), समारोह, जैसे कि विभिन्न खेलों का शुभारम्भ, समापन, विजय समारोह, साहसिक कार्यकलाप, सामूहिक प्रदर्शन कार्यकलाप, जैसे कि डम्ब बेल, अम्ब्रेला, टिपरी, वैण्ड, अथवा कोई अन्य उपकरण ।

**(ग) स्थानबद्ध प्रशिक्षण**

एम.पी.एड. कार्यक्रम के अन्तर्गत नवसीखियों और संस्थान के साथ लगातार क्षेत्र कार्य के लिए व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि सामन्जस्यपूर्ण वातावरण तैयार किया जा सके। कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे सभी कार्यकलापों में छात्रों को अभ्यास प्रदान करके खेल–कूद तथा स्वदेशी दक्षताओं में शिक्षण सम्मिलित होगा। स्थानबद्ध प्रशिक्षण/शिक्षण अभ्यास के अन्तर्गत समुदाय के साथ, अर्थात स्कूल/कालेज/खेलसंगठन/खेल अकादमी/खेल क्लब के साथ अन्योन्यक्रिया सम्मिलित होगी तथा उसमें निम्नलिखित संघटक शामिल किए जाने चाहिए।

कम से कम 30 पाठ आयोजित किए जाएंगे जिसमें 10 शिक्षण, 10 प्रशिक्षण और स्कूलों/कालेजों/संस्थान/विभाग में 10 स्थानापन्न सम्मिलित होंगे। संस्थान को, छात्र–शिक्षकों के क्षेत्र कार्य और अभ्यास शिक्षण सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए पर्याप्त संख्या में मान्यता प्राप्त स्कूल/कालेज/खेल संगठन/खेल अकादमियां/खेल क्लब सहज रूप से सुलभ होंगे । संस्थान, अभ्यास शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने के इच्छुक स्कूल/कालेज/खेल संगठन/खेल अकादमी/खेल क्लब से एक वचनपत्र प्रस्तुत करेंगे ।

संस्थान, कम से कम दस संस्थानों के साथ व्यवस्था करेंगे जिसमें स्थानबद्ध प्रशिक्षण और कार्यक्रम के अन्य कार्यकलापों के लिए भी अनुमति प्रदान करने की उनकी इच्छा का उल्लेख किया जाएगा । ये संस्थान, सभी कार्यकुशलता कार्यकलापों तथा कार्यक्रम के पाठ्यक्रम के दौरान सम्बद्ध कार्य करने के लिए मूल सम्पर्क बिन्दु कायम करेंगे ।

**4.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन**

विश्वविद्यालय/संस्थान, कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे –

(i) सभी कार्यकलापों के लिए, कार्यकुशलता और स्थानबद्ध प्रशिक्षण सहित, एक कलेण्डर तैयार करेंगे जिसका स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए विनिर्धारित संस्थान (स्कूल/कालेज/खेल संगठन/खेल अकादमी/खेल क्लब) के कार्यकलाप कलेण्डर के साथ सामन्जस्य किया जाएगा ।

(ii) आवधिक रूप से सेमिनार, संवाद, व्याख्यान, चर्चा समूह और छात्रों तथा संकाय के लिए योगा अभ्यास शिविर आयोजित करके शारीरिक शिक्षा और योगा शिक्षा पर व्याख्यान आरम्भ करना।

(iii) शैक्षिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करना, मूल विषयों से संकाय के साथ अन्योन्यक्रिया सहित, और शैक्षिक अध्ययन व अनुसंधान के आयोजन में भाग लेने के लिए संकाय सदस्यों को प्रोत्साहित करना।

(iv) छात्रों को विचारशील विचारधारा और कान्तिक जिज्ञासात्मक दक्षताएं विकसित करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कक्षा में सहभागी शिक्षण दृष्टिकोण अपनाना, छात्र, सतत और व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट और प्रेक्षण रिकार्ड रखेंगे जिनसे विचारशील विचारधारा के लिए अवसर उपलब्ध होता है ।

(v) संस्थान के लिए संसाधनों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए और पाठ्यचर्या व शिक्षक शिक्षा संस्थान के संचालन दोनों के माध्यम से स्थानबद्ध प्रशिक्षण संस्थान को बढावा दिया जाना चाहिए ।

(vi) छात्रों और संकाय की शिकायतों का समाधान करने के लिए तथा कठिनाई समाधान के लिए संस्थान में प्रणालियॉं तथा प्रावधान किए जाने चाहिए ।

(vii) स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए, शिक्षक शिक्षा संस्थान और प्रतिभागी संस्थान, छात्र–शिक्षकों के मानीटरन, पर्यवेक्षण, ट्रेकिंग और आंकलन के लिए एक परस्तर रूप से सहमत पद्धति कायम करेंगे।

**4.3 मूल्यांकन**

प्रत्येक सिद्धान्त पाठ्यक्रम के लिए कम से कम 20: से 30: तक अंक सतत आन्तरिक मूल्यांकन के लिए और 70: से 80: तक अंक परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित टर्म के अन्त में परीक्षा श्के लिए निश्चित किए जाने चाहिए तथा कुल अंकों में से एक चौथाई अंक, स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यों में छात्रों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवंटित किए जाएंगे, अभ्यास शिक्षण के मूल्यांकन सहित आन्तरिक और बाहरी आंकलन के लिए भारिता का निर्धारण संबंधन निकाय द्वारा किया जाएगा । छात्रों का आन्तरिक आंकलन पूरे प्रायोगिक कार्य पाठ्यक्रम के दौरान किया जाना चाहिए और न कि केवल उन्हें अध्ययन के अपने यूनिटों के भाग के रूप में दिए गए प्रोजेक्ट। क्षेत्र कार्य के आधार पर प्रयुक्त आंकलन के लिए आधार और प्रयुक्त मापदण्ड छात्रों के लिए पारदर्शी होना चाहिए ताकि उन्हें व्यावसायिक फीडबैक से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। छात्रों को, व्यावसायिक फीडबैक के भाग के रूप में उनके ग्रेडों/अंकों के बारे में जानकारी दी जाएगी जिससे कि उन्हें अपने निष्पादन में सुधार करने का अवसर प्राप्त हो सके। आन्तरिक आंकलन के आधार के अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ–साथ अलग–अलग अथवा समूह कार्य, प्रेक्षण रिकार्ड, खेल–विशिष्ट और सामग्री–सम्बद्ध डायरियांविचारशील जर्नल शामिल हो सकते हैं ।

5. स्टाफ

5.1 संकाय

(क) संख्या (दो वर्षीय कार्यक्रम के लिए 80 की संयुक्त संख्या के साथ चालीस छात्रों की बुनियादी इकाई के लिए) :

| | | |
|---|---|---|
| प्रोफेसर | : | एक |
| सह प्रोफेसर | : | दो |
| सहायक प्रोफेसर | : | तीन |
| खेल प्रशिक्षक | : | तीन (अंशकालिक) |

अध्यापक, पाठ्यचर्या में सम्मिलित अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों से लिए जाएंगे।

5.2 **अर्हताएं**

(ए) प्रोफेसर 55: अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.एड./एम.पी.ई.) अथवा इनके समकक्ष ग्रेड।

(i). शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में पी.एच.डी.।

(ii). शारीरिक शिक्षा कालेज/विभाग में कम से कम दस वर्ष का शिक्षण/अनुसंधान अनुभव, जिसमें से कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव स्नातकोत्तर संस्थान/विश्वविद्यालय विभाग में होना चाहिए ।

**टिप्पणी** :–वि.अ.आ./संबंधन निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कोई अन्य अपेक्षा।

**(बी) एसोसिएट प्रोफेसर**

(i). शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.एड./एम.पी.ई.) अथवा 55: अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ कोई संगत विषय।

(ii). शारीरिक शिक्षा के विषय में पी.एच.डी ।

(iii). शारीरिक शिक्षा विभाग/कालेज में कम से कम आठ वर्ष का शिक्षण/अनुसंधान अनुभव, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव स्नातकोत्तर स्तर पर होना चाहिए ।

**टिप्पणी** :–वि.अ.आ/संबंधन विकाय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कोई अन्य निर्धारण ।

**(सी) सहायक प्रोफेसर**

(i). कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.एड/एम.पी.ई) अथवा समकक्ष ग्रेड।

(ii). वि.अ.आ/संबंधन निकाय / राज्य सरकार द्वारा सहायक प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित कोई अन्य निर्धारण अनिवार्य होगा ।

**(डी) सहायक योग प्रोफेसर**

न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ योग में स्नातकोत्तर डिग्री ।

**टिप्पणी** :–वि.अ.आ./संबंधन निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कोई अन्य अपेक्षा।

**(ई) खेल प्रशिक्षक/कोच**

कम से कम एक खेल में (जो भी लागू हो) विशेषज्ञता के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातक डिग्री अथवा खेल में (जो भी लागू हो) किसी कोचिंग में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।

**टिप्पणी** :– वि.अ.आ/संबंधन निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कोई अन्य अपेक्षा ।

(संकाय का उपयोग एक शिथिलनीय ढंग से शिक्षण के लिए किया जा सकता है जिससे कि उपलब्ध शैक्षिक विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग किया जा सके)

5.3 **व्यावसायिक सहयोगी स्टाफ/प्रशासनिक**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | कार्यालय अधीक्षक | : | एक |
| 2. | तकनीकी सहायक | : | दो |
| 3. | कम्प्यूटर सहायक | : | एक |
| 4. | हेल्पर/ग्राउण्ड व्यक्ति/मार्कर्स | : | दो |
| 5. | प्रयोगशाला परिचर | : | दो |

**अर्हताएं :**

संबंधित संबंधन विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार होगी ।

**5.4 सेवा की शर्तें**

शिक्षण और गैर–शिक्षण स्टाफ की सेवा शर्ते, चयन प्रकिया, वेतनमान, सेवानिवृत्ति की आयु व अन्य लाभ सहित, राज्य सरकार/संबंधन निकाय की नीति के अनुसार होगी ।

**6. सुविधाएं**

**6.1 आधारिक (भौतिक) सुविधाएं**

(i). संस्थान के पास कम से कम आठ एकड भूमि होनी चाहिए जिससे संस्थागत इमारत के लिए तथा भावी विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान और खेल–कूद आयोजित करने के लिए खुली जगह उपलब्ध होगी । निर्मित क्षेत्र, कक्षा कमरे आदि को मिलाकर 1200 वर्ग मीटर (एक हजार दो सौ वर्ग मीटर) के कम नहीं होगा । पर्वतीय क्षेत्रों में भी यह सुनिष्चित किया जाना चाहिए जहाँ कम से कम दो एकड भूमि प्रशासनिक इमारत के लिए और तीन एकड भूमि खेल–कूद सुविधाओं के लिए होगी ।

(ii). बीस–बीस छात्रों के लिए चार कक्षा कमरों (एम.पी.एड प्रथम वर्ष के लिए और द्वितीय वर्ष छात्रों के लिए दो–दो) तथा दो सौ व्यक्तियों के वास्ते एक बहु–प्रयोजन हाल होना चाहिए, जिसका कुल क्षेत्र 2000 वर्ग फुट होगा, डायस को मिलाकर, विशेषज्ञता कक्षाओं के आयोजन के लिए पन्द्रह छात्रों के वास्ते चार छोटे कमरे, सेमिनार/ट्यूटोरियल कमरे, प्रोफेसर/अध्यक्ष, संकाय सदस्यों के लिए पृथक कमरे, प्रशासनिक स्टाफ के लिए कार्यालय और एक भण्डार होगा। प्रत्येक शिक्षण कमरे के लिए, जैसे कि कक्षा कमरा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि के लिए प्रति छात्र के वास्ते 10 वर्ग फुट (दस वर्ग फुट) से कम स्थान नहीं होगा।

एम.पी.एड. कार्यक्रम के साथ मिलाकर अन्य कक्षाओं के संचालन के लिए निर्मित क्षेत्र निम्न प्रकार होगा :

बी.पी.एड./जमा एम.पी.एड. 2700 वर्ग मीटर

बी.पी.एड जमा डी.पी.एड जमा एम.पी.एड. 3000 वर्ग मीटर

एम.पी.एड. की एक यूनिट के लिए अतिरिक्त दाखिले के लिए क्रमशः 400 वर्ग मीटर के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होगी ।

(iii). अन्तरंग खेलों के लिए एक बहु–प्रयोजन हॉल/व्यायामशाला तथा बाह्य खेलों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था होगी ।

(iv). संस्थान द्वारा पुरूष और महिला संकाय और छात्रों के लिए पृथक सामान्य कमरों की व्यवस्था की जाएगी।

(v). पर्याप्त संख्या में शौचालयों – पुरूषों और महिलाओं और पी.डब्ल्यू.डी. के लिए अलग–अलग, स्टाफ और छात्रों के लिए, की व्यवस्था की जाएगी।

(vi). लडकों और लडकियों के लिए अलग–अलग छात्रावास तथा शिक्षकों के लिए कुछ रिहायशी क्वार्टरों की व्यवस्था वांछनीय है ।

**6.2 उपस्कर और सामग्री**

**(i). पुस्तकालय**

वाचनालय कमरों की सुविधा के साथ एक पुस्तकालय होगा जो शारीरिक शिक्षा में सभी विशेषज्ञताओं और पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध न्यूनतम दो हजार पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोशों, इलेक्ट्रानिक प्रकाशनों (सी.डी.रोम), आनलाइन संसाधनों, स्वास्थ्य/खेल शिक्षा और शिक्षक शिक्षा/स्टाफ विकास पर कम से कम पाँच संदर्भ पत्रिकाओं से सज्जित और इन्टरनेट संयोजकता से भी जुडा होगा। पुस्तकालय में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक सौ उत्तम पुस्तकें शामिल की जाएंगी। पुस्तकालय में संकाय और छात्रों के उपयोगार्थ फोटोकापिंग सुविधा तथा इन्टरनेट सुविधा के साथ पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर होंगे ।

**(ii). प्रयोगशाला उपस्कर**

बी.पी.एड. कार्यक्रम के अन्तर्गत उल्लिखित प्रयोगशालाओं के अलावा, एम.पी.एड., कार्यक्रम का संचालन करने वाले संस्थानों में नीचे वर्णित प्रयोगशालाओं के लिए विनिर्दिष्ट सुविधाएं और उपस्कर होंगे ।

**(क) व्यायाम शरीर विज्ञान प्रयोगशाला**

लेकटेट एनेलाइजर, शरीर संरचना एनेलाइजर, मेटाबोलिक एनेलाइजर, पेडोमीटर, बी.पी. उपकरण (शारीरिक), बी.पी. उपकरण (हस्तचालित बी.पी. उपकरण)(इलेक्ट्रानिक), रिकन फोल्ड कोलिपर, ड्राई स्पिरोमीटर (5) हार्ट रेट मानीटर, मल्टी – फंक्शन पेडोमीटर (10), कम्प्यूटरीकृत ट्रेड मिल।

**(ख) खेल मनोविज्ञान प्रयोगशाला**

ईएमजी, बायोफीडबेक, व्यक्तित्व, उत्सुकता, समूह तालमेल, आक्रोश, अभिप्रेरण, मानसिक कठोरता आत्मसम्मान, नियंत्रण क्षेत्र पर प्रश्नावलियाँ तथा ऐसी ही अन्य प्रश्नावलियां, पाठ्य–विवरण सामग्री, गहन, बोध उपकरण प्रत्याशा, आकलन उपकरण, फिंगर डेक्सटेरिटी टेस्ट की आवश्यकता के अनुसार।

**(ग) खेल बायो–मेकेनिक्स प्रयोगशाला**

कोर्स प्लेट (नवीनतम मोड्यूल पूर्ण सेट), इलेक्ट्रानिक गोनिओमीटर (नवीनतम माड्यूल), गैट इनेलीसिस सिस्टम, किसी भी समय कहीं भी वैकल्पिक प्रेशर प्लेट।

**(घ) माप और खेल प्रशिक्षण प्रयोगशाला**

डिजिटल बैंक/लैग डायनामोमीटर, डिजिटल हैण्ड ग्रिप डायनामोमीटर (प्रौढ और बच्चे), स्किन कोल्डकोपिलरी, एन्थ्रोपोमीटरी किट (कम्प्यूटर) स्लाइडिंग और स्प्रेडिंग, क्लिपर, गर्थ माप – गोनिओमीटर, स्टील टेप्स, प्लेक्सोमेजर, हीथर रेट मानीटर वेइंग मशीन, रीएक्शन टाइम एपेरेटस (दृष्य तथा श्रव्य), फूड एण्ड हैण्ड रिएक्शन, टाइम सपेरेटस वाईब्रेटर्स।

(ड) **योग कियाओं के लिए सुविधाएं** – योग मेट

**6.3 सांस्कृतिक कार्यकलाप**

विभिन्न कार्यकलापों के लिए, जब भी आवश्यक हो, उपयुक्त और पर्याप्त यंत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिएं। छोटे–मोटे खेलों, मनोरंजन खेलों, रीलेज और काम्बेटिव खेलों के लिए अपेक्षित अन्य उपस्कर जरूरत और विशेषज्ञता के आधार पर खरीदे जाने चाहिएं।

**6.4 अन्य सुविधाएं**

(क) शिक्षण व अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर।

(ख) वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ग) संस्थान में सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(घ) कैम्पस की नियमित सफाई, पानी और शौचालय सुविधाओं की व्यवस्था (पुरूष और महिला छात्रों और शिक्षकों के लिए अलग–अलग), फर्नीचर व अन्य उपस्करों की मरम्मत और बदलने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

**टिप्पणी :** यदि एक ही संस्थान द्वारा उसी कैम्पस में शिक्षा में एक से अधिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो खेल के मैदान, बहुप्रयोजन हॉल, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की सुविधाओं में (पुस्तकों और उपस्करों में आनुपातिक वृद्धि के साथ) तथा शिक्षण स्थान में भागीदारी की जा सकती है। पूरे संस्थान के लिए संस्थान का एक प्रिंसीपल होगा तथा भिन्न–भिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए संस्थान में अध्यक्षों की व्यवस्था की जा सकती है।

**7. प्रबंधन समिति**

संस्थान की एक प्रबंधन समिति होगी जिसका गठन संबंधन विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार के नियमानुसार किया जा सकता है । ऐसे नियमों के अभाव में, संस्थान द्वारा अपनी एक प्रबंधन समिति गठित की जाएगी । समिति में प्रायोजक सोसायटी/ट्रस्ट के प्रतिनिधि, शारीरिक शिक्षाविद्, संबंधन विश्वविद्यालय और स्टाफ के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

**परिशिष्ट–9**

## मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रद्धति के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाले प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के मानक और मानदण्ड

**1. प्रस्तावना**

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आयोजित किया जाने वाला प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक स्कूलों (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक/मिडिल) में कार्यरत अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमता का स्तरोन्नयन करना है। साथ ही इस पाठ्यक्रम में उन अध्यापकों को शामिल करने की परिकल्पना भी की गई है जिन्होंने औपचारिक अध्यापक प्रशिक्षण के बिना व्यवसाय में प्रवेश किया है। यह कार्यक्रम कक्षा I से VIII तक के अन्य हेतु प्रारंभिक कक्षाओं के अध्यापकों को तैयार करवाता है। इस कार्यक्रम का मिश्रित उपयोग डिजाइन, विकास तथा उसके निष्पादन हेतु किया जाएगा।

**1. संस्थानों की पात्रता तथा क्षेत्रीय अधिकार–क्षेत्र**

**2.1 संस्थानों की पात्रता**

इस अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिए जो संस्थान पात्र है वे है विशेष रूप से राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तथा निदेशालय, यूजीसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के मुक्त तथा दूर अधिगम स्कूल जिनकी स्थापना; ओडीएल कार्यक्रम चलाने के लिए की गई है सम विश्वविद्यालय कृषि, तकनीकी या संबंद्ध विश्वविद्यालय जिनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र अध्यापक शिक्षा न हो कर कोई और है, और अन्य विषय क्षेत्र विश्वविद्यालय या संस्थान ओडीएल पद्धति से अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिए पात्र नहीं है।

Abdominal Guard (three), helmet (three), Wicket Keeping Gloves (two pairs), Wicket Keepers leg guard (two pairs), Stumps (twelve nos.), Bails (ten nos), Cricket Ball; (iv) Football: Football post (two sets), Footballs, Football Net (four sets), Posts with flags (eight); (v) Handball: Handball posts (two sets); Handball – Balls (one dozen), Handball – Net (four pairs); (vi) Hockey: Hockey posts (two set), Hockey-bailsmen doz.), Hockey Stick (thirty), Hockey Goal keeping kit (one); (vii) Kho-Kho: Kho-Kho Poles (two set); (viii) Lawn Tennis: Lawn Tennis Posts(two), Tennis Balls, Tennis racket; (ix) Table Tennis: Table Tennis Bailsmen doz.; (x) Volleyball: Volleyball Posts (two set), Volleyballs (twenty), Volleyball Net (four), Antenna (four); (xi) Weight-Lifting: Weight Training Rods (ten), Weight Plates 2.5 Kg, five Kg, ten Kg, fifteen Kg, twenty Kg (ten each), Collars (twenty), Benches (four), Weight Stand (two), Squat Stand, One Multi-gym or separate station wise (at least ten station), Weight Jackets and Weight Belts; One Multi-gym or separate station wise (at least ten station); Mats to be used for Judo/Taekwondo/ Wrestling.

(c) Equipment for indigenous activities / mass demonstration: Lezium (50 pairs); Dumbbells (50 pairs); Indian Clubs (50 pairs); Flags; Hoops; Wands; Balls; Umbrella; Skipping Ropes; Music System; Music - CDs/ Cassettes; Material like scarf drill, ribbon, placard etc. for mass display activities.

(d) Gymnastics Apparatus: Parallel Bars (one set), Uneven parallel bars (one set), Horizontal bar (one set), Two roman rings (one set), Climbing ropes (Manila) (six), Mats (twelve rubber, twelve coir), Balance beam (adjustable sets) (one set), One Pummeled Horse (one set), Multi-gym (twelve stationed) (one set), Vaulting Table (one set), Beat board (two nos.), Crash mat (one).

**6.3 Cultural Activities**

Suitable and adequate instruments should be provided as and when needed for various activities. Other equipment required for minor games, recreational games, relays and combative sport be procured on need and specialization basis.

**6.4 Amenities**

(i) Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.

(ii) The institution shall provide separate common rooms for male and female staff and students.

(iii) Sufficient number of toilets, separate for male and female, shall be made available for staff and students.

(iv) Arrangement may be made for parking of vehicles.

(v) Safe drinking water be provided in the institution.

(vi) Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipments.

(**Note :** In case of composite institution, the infrastructural and other facilities shall be shared by various teacher education programmes.)

**7. Managing Committee**

The Institution shall have a Managing Committee constituted as per the rules of the affiliating University/Concerned State Government, if any. In the absence of such rules, the institution shall constitute the Managing Committee on its own. The committee shall comprise representatives of the sponsoring society/ trust, Educationists, Physical Education experts, representatives of the affiliating university and of the staff.

**APPENDIX-8**

## Norms and Standards for masters of physical education programme leading to Master of Physical Education (M.P.Ed.) Degree

**1 Preamble**

1.1 The Master of Physical Education (M.P.Ed.) programme is a professional programme meant for preparing physical education teachers for senior secondary (classes XI and XII) level as well as assistant professors/ directors/ sports officers in colleges/ universities and teacher educators in colleges of physical education and university departments of physical education.

**2 Duration and Working Days**

**2.1 Duration**

The M.P.Ed. programme shall be of a duration of two academic years or four semesters. However, the students shall be permitted to complete the programme within a maximum period of three years.

**2.2 Working Days**

(a) There shall be at least 200 working days in each academic year / one hundred working days in each semester exclusive of period of examination and admission etc.

(b) The institution shall work for a minimum of thirty six hours in a week (five or six days a week) during which physical presence in the institution of all the teachers and teacher educators is necessary to ensure their availability for advice, guidance, and consultation, as and when needed.

**3 Intake, Eligibility and Admission Procedure**

**3.1 Intake**

There shall be a basic unit of 40 (forty) students for each year.

**3.2 Eligibility**

(a) achelor of Physical Education (B.P.Ed.) or equivalent with at least 50% marks.

OR

Bachelor of Science (B.Sc.) in Health and Physical Education with at least 50% marks.

(b) The reservation in seats and relaxation in the qualifying marks for SC/ST/OBC/PWD and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable.

**3.3 Admission Procedure**

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the entrance examination (written test, fitness test, interview and percentage in qualifying examination) or any other selection process as per the policy of the State Government/Affiliating University.

**3.4 Fees**

The institution shall charge only such fee as prescribed by the affiliating body / State Government concerned in accordance with provisions of National Council for Teacher Education (NCTE) (Guidelines for regulations of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulations, 2002, as amended from time to time and shall not charge donations, capitation fee etc. from the students.

**4.0 Curriculum, Programme Implementation and Assessment**

**4.1 Curriculum**

The M.P.Ed. Programme shall be designed to integrate the study of childhood, social context of education, subject knowledge, pedagogical knowledge, aims of physical education and communication skills. The programme shall comprise of compulsory and optional theory courses, and compulsory internship in school/ college/ sports organization/ sports academy/ sports club. The theory and practical courses shall be assigned a weightage in the proportion as determined by the affiliating body. It shall be in broad alignment with the curriculum framework suggested by NCTE (revised from time to time) while contextualizing it for the state or region concerned.

Information and Communication Technology (ICT), gender, yoga education, and disability/inclusive education shall form an integral part of the M.P.Ed. curriculum.

**(a) Theory Courses**

The Theory Courses shall comprise courses in areas of physical education, understanding of research, and applied areas of advance studies in physical education and sports sciences. The theory courses in the 1st year shall include: Research Process in Physical Education and Sports Sciences; Applied Statistics in Physical Education and Sports; Test, Measurement and Evaluation in Physical Education; Yogic Sciences; Scientific Principles of Sports Training; Sports Technology; Physiology of Exercise; Sports Psychology; Sports Biomechanics and Kinesiology; Sports Medicine. In the 2nd year, the courses shall include: Sports Management; Curriculum Designs in Physical Education; Athletic Care and Rehabilitation; Sport Journalism and Mass Media Communication Technology; Sports Engineering; Physical Fitness and Wellness; Value and Environmental Education; Education Technology in Physical Education; Health Education and Sports Nutrition; and a Dissertation.

**(b) Practicum**

The Practicum Course, which is field-based, shall be designed to give opportunity to acquire professional skills and capacities in various sports, games, physical activities and yoga activities suitable to students. The activities for teaching, coaching and officiating include Track and Field; Swimming; Gymnastics; Yoga; Aerobics (as also self-defence techniques); Racket Sports like Badminton, Table Tennis, Tennis, Squash; Team Games like Baseball, Basketball, Cricket, Football, Handball, Hockey, Netball, Softball, Shooting, Volleyball; Combative

Sports like Boxing, Fencing, Judo, Karate, Malkhamb, Martial Arts, Taekwondo, Wrestling; Recreational Games like Relay Games, Minor Games, Lead-up Games; Indigenous Sports like Kabaddi, Kho-Kho etc.; activities of national importance like Flag Hoisting, March Past, Ceremonies like Opening, Closing, Victory ceremonies of different sports and games; Adventure Activities; Mass Demonstration Activities like Lezim, Dumb-bell, Umbrella, Tipri, Wand, Hoop or any other Apparatus.

**(c) Internship**

The M.P.Ed. programme shall provide for sustained field work with learners and the institution, thereby creating congenial atmosphere. The programme shall include teaching basic skills in sports and games and indigenous activities giving exposure to students in all such activities. Internship/ teaching practice would include engagement with the community, i.e. school/ college/ sports organization/ sports academy/ sports club and should have the following components:

A minimum of 30 lessons out of which 10 teaching, 10 coaching and 10 officiating in the school/ college/ institution/ department shall be conducted.

The institution shall have easy access to sufficient number of recognized schools/colleges/ sports organizations/ sports academies/ sports clubs for field work and practice teaching related activities of student-teachers. The institution shall furnish undertaking from school/ college/ sports organization/ sports academy/ sports club willing to provide facilities for practice teaching.

The institution shall make an arrangement with at least ten institutions indicating their willingness to allow the internship as well as other activities of the programme. These institutions shall form basic contact point for all practicum activities and related work during the course of the programme.

**4.2 Programme Implementation**

The university/institution shall undertake the following for the implementation of the programme:

(i) Prepare a calendar for all activities, including practicum and internship which shall be synchronized with the activity calendar of the institution identified for internship (school/ college/ sports organization/ sports academy/ sports club).

(ii) Initiate discourse on physical education and yoga education by periodically organising seminars, debates, lectures, discussion groups and yoga practice camps for students and faculty.

(iii) Organize academic enrichment programmes including interactions with faculty from parent disciplines; and encourage faculty members to participate in academic pursuit and pursue research.

(iv) Adopt participatory teaching approach in the classroom to help students develop reflective thinking and critical questioning skills. Students shall maintain continuing and comprehensive evaluation reports and observation records, which provide opportunities for reflective thinking.

(v) The development of resources for the institution must be emphasized and a partnership between the Teacher Education Institution and the internship institution must be fostered through both the curriculum and the running of the Teacher Education Institution.

(vi) There shall be mechanisms and provisions in the Institution for addressing complaints of the students and faculty, and for grievance redressal.

(vii) For internship, the Teacher Education Institutions and the participating institution shall set up a mutually agreed mechanism for mentoring, supervising, tracking and assessing the student-teachers.

**4.3 Assessment**

For each theory course, at least 20% to 30% marks may be assigned for continuous internal assessment and 70% to 80 % for term-end examination conducted by the examining body; and one fourth of the total marks shall be allocated to evaluate the students' performance in internship tasks including assessment of practice teaching. The weightage for internal and external assessment shall be fixed by the affiliating body. Candidates must be internally assessed on the entire practicum course and not only on the project/ field work given to them as part of their units of study. The basis for assessment and criteria used ought to be transparent for students to benefit maximally out of professional feedback. Students shall be given information about their grades/ marks as part of professional feedback so that they get the opportunity to improve their performance. The bases of internal assessment my include individual or group assignments, observation records, sports-specific and content-related diaries, reflective journals, among others.

**5 Staff**

**5.1 Faculty**

(a) Number (for a basic unit of forty students with combined strength of eighty for the two year programme):

| | |
|---|---|
| Professor | One |
| Associate Professors | Two |

| | | |
|---|---|---|
| **Assistant Professors** | - | Three |
| **Sports Trainers** | - | Three (Part Time) |

The teachers shall be drawn from various areas of study included in the curriculum.

**5.2 Qualifications**

A: Professor

(i) Postgraduate degree in Physical Education (M.P.Ed./M.P.E.) with 55% marks or its equivalent grade.

(ii) Ph.D. in the area of Physical Education.

(iii) At least ten years of teaching/research experience in a department / college of physical education out of which at least five years in the postgraduate institution/University department.

Note : Any other stipulation prescribed by the UGC/ affiliating body/ State Govt. from time to time.

B: Associate Professor

(i) Postgraduate degree in Physical Education (M.P.Ed./M.P.E.) or any relevant subject with 55% marks or an equivalent grade.

(ii) Ph.D. in the area of Physical Education.

(iii) At least eight years of teaching/research experience in a department / college of physical education out of which at least three years at the postgraduate level.

Note : Any other stipulation prescribed by the UGC/ affiliating body/ State Govt. from time to time.

C: Assistant Professor

(i) Postgraduate degree in Physical Education (M.P.Ed./M.P.E.) with at least 55% marks or an equivalent grade; and

(ii) Any other stipulation prescribed by the UGC / affiliating body / State Govt. from time to time for the position of Assistant Professor shall be mandatory.

D. Assistant Professor in Yoga

Postgraduate degree in Yoga with minimum 55% marks.

Note : Any other stipulation prescribed by the UGC/ affiliating body/ State Govt. from time to time.

E. Sports Trainers / Coaches

Postgraduate degree/ Bachelors degree in physical education with specialization in at least one game/ sport (as applicable) or Diploma / PG Diploma in any coaching in a sport (as applicable).

Note : Any other stipulation prescribed by the UGC/ affiliating body/ State Govt. from time to time.

(Faculty can be utilized for teaching in a flexible manner so as to optimize academic expertise available).

**5.3 Administrative and Professional Support Staff**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Office Superintendant | - | One |
| 2. Technical Assistants | - | Two |
| 3. Computer Assistant | - | One |
| 4. Helpers/Ground Persons/Markers | - | Two |
| 5. Lab Attendants | - | Two |

Qualifications:

As per the norms prescribed by the concerned affiliating University/ State Government/ UGC.

**5.4 Terms and Conditions of Service**

The terms and conditions of service of teaching and non-teaching staff including selection procedure, pay scales, age of superannuation and other benefits shall be as per the policy of the State Government/Affiliating body.

6. **Facilities**

**6.1 Infrastructure**

(i) The institution must have at least eight (8) acres of land which shall provide enough space for institutional building and for future expansion, and open space for organizing games and sports. Built up area consisting of classrooms etc. shall not be less than 1200 sq. mtr. (one thousand two hundred square meter). This must be ensured even in Hilly Regions where the total land may be at least two acres for administrative building and three acres for sports/game facilities.

(ii) There shall .be provision for four classrooms (two each for M.P.Ed 1st year and 2nd year students) to accommodate twenty students each and one multi-purpose hall to accommodate two hundred persons, having total area of 2000 sq.ft (two thousand square feet) inclusive of dias, four small rooms for fifteen students to conduct specialization classes, seminar/tutorial rooms, separate rooms for the Professor/Head, faculty members, office for the administrative staff and a store. For every instructional room like class room, laboratory, library etc. spaces shall not be less than 10 sq.ft. (ten square feet) per student.

Built up Area for running other courses in combination with M.P.Ed programme shall be as under:

(a) B.P.Ed/plus M.P.Ed. - 2700 Sq.mts.

(b) B.P.Ed plus D.P.Ed plus M.P.Ed - 3900 Sq.mts.

(c) Additional intake of one unit of M.P.Ed will require additional built up area of 400 sqm (four hundred square m) respectively.

(iii) There shall be a multi-purpose hall/gymnasium for indoor sports and facilities for outdoor sports.

(iv) The institution shall provide separate common rooms for male and female faculty and students.

(v) Sufficient number of toilets, separate for male and female and PWD, shall be made available for staff and students.

(vi) Hostel for boys and girls separately, and some residential quarters for teachers are desirable.

**6.2 Equipments and Materials**

**(i) Library**

There shall be a library with facility of reading rooms and equipped with minimum two thousand titles and reference books related to all specializations and courses in physical education, educational encyclopedias, electronic publications (CD-ROMs), online resources, at least five refereed journals on health/sports education and teacher education/staff development, and also internet connectivity. At least one hundred quality books will be added to the library every year. The library shall have photocopying facility and sufficient number of computers with internet facility for the use of faculty and students.

**(ii) Laboratory Equipments**

In addition to the laboratories mentioned under the B.P.Ed programme, the institution offering M.P.Ed Programme shall have equipments and facilities specified for the laboratories mentioned below:

(a) Exercise Physiology Laboratory

Lactate Analyzer, Body Composition Analyzer, Metabolic Analyzer, Pedometer, B,P. Apparatus (Manual), B.P. Apparatus (Electronic), Skin fold Caliper, Dry Spiro meter (5), Heart Rate Monitor, Multi Function pedometer (10), Computerized Tread Mill.

(b) Sports Psychology Laboratory

EMG Biofeedback; Questionnaires on Personality, Anxiety, Group Cohesion, Aggression, Motivation, Mental Toughness, Self-esteem, Locus of Control and such other questionnaires as per the requirement of the contents of the syllabus; Depth Perception Apparatus, Anticipation Assessment Apparatus, Finger Dexterity Test.

(c) Sports Bio-Mechanics Laboratory

Force Plate (Latest Module Complete Set), Electronic Goniometer (Latest Module), Gait Analysis System for any time, any where alternatively pressure plate.

(d) Measurement and Sports Training Laboratory

Digital Back / Leg Dynamometer, Digital Hand Grip Dynamometer (Adult and Children), Skin fold Capillary, Anthropometry Kit (Computer) sliding and spreading, Caliper, Girth Measures - Goniometer; Steel Taps; Flexomeasure, Hear Rate Monitor, Weighing Machine, Reaction Time Apparatus (Visual and Audio), Food and Hand Reaction Time Apparatus Vibrators.

(e) Facilities for Yogic Kriyas, Yoga Mats.

**6.3 Cultural Activities**

Suitable and adequate instruments should be provided as and when needed for various activities. Other equipment required for minor games, recreational games, relays and combative sport be procured on the basis of need and specialization.

**6.4 Other Amenities**

(a) Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.

(b) Arrangement may be made for parking of vehicles.

(c) Access to safe drinking water be provided in the institution.

(d) Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities (separate for male and female students and teachers), repair and replacement of furniture and other equipments.

(Note: If more than one programme in teacher education are run by the same institution in the same campus, the facilities of playground, multipurpose hall, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space can be shared. The institution shall have one Principal for the entire institution and Heads for different teacher education programmes offered in the institution

**7. Managing Committee**

The institution shall have a Managing Committee constituted as per the rules of the affiliating university/concerned State Government, if any. In the absence of such rules, the institution shall constitute the Managing Committee on its own. The committee shall comprise representatives of the sponsoring society/ trust, physical educationists, representatives of the affiliating university and of the staff.

**APPENDIX- 9**

## Norms and standards for diploma in elementary education programme through Open and Distance Learning System leading to Diploma in Elementary Education (D.El.Ed)

**1. Preamble**

The elementary teacher education programme through Open and Distance Learning System is intended primarily for upgrading the professional competence of working (in-service) teachers in the elementary schools. It envisages bringing into its fold those teachers who have entered the profession without formal teacher training. It aims to prepare teachers for the elementary stage of education, that is, classes I-VIII. The programme shall use blended learning modality for design, development and delivery of the programme.

**2. Eligibility of Institutions and Territorial Jurisdiction**

**2.1 Eligibility of Institutions**

The institutions or academic units specially established for offering ODL programmes like the National Open University, State Open Universities and the Directorates / School of Open and Distance Learning in UGC-recognized Universities, Open Schools, SCERTs shall be eligible to offer teacher education programmes. (The Deemed to be Universities, Agricultural, Technical or allied Universities, which specialize in a field other than teacher education and other discipline specific Universities / Institutions are not eligible to offer teacher education programme through ODL).

**2.2 Territorial Jurisdiction**

The University/Institution offering teacher education programme through ODL will have territorial jurisdiction as defined in its Act or as decided by the concerned State Government.

The Study Centres of the University/Institution shall also be located in its territorial jurisdiction.

**3. Duration**

The duration of the programme shall be of two academic sessions/years. However, students shall be permitted to complete the programme within a maximum period of five years. The commencement and completion of the programme shall be so regulated that two long spells of vacation (summer / winter / staggered) are available to the learners for guided / supervised instruction and face to face contact sessions. The programme can also be sandwitched between two summer vacations for face-to-face interaction (besides learners' self-study at their choice and pace).

**4. Intake, Eligibility, Admission Procedure and Fees**

**4.1 Intake**

The basic unit of intake for the D.El.Ed. programme shall not exceed five hundred students subject to the condition that one Study Centre shall enroll not more than one hundred students in a given session. The